भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 236
21 जुलाई 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **कृषि पर अल नीनो का प्रभाव**

236. श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने वर्ष 2026 के दौरान अल नीनो की संभावित स्थितियों और मानसून पर इसके प्रभाव के मद्देनजर कोई परामर्श जारी किया है अथवा आकस्मिक योजनाएं तैयार की हैं;
(ख) क्या महाराष्ट्र विशेष रूप से मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव, के संबंध में कोई आकलन किया गया है;
(ग) महाराष्ट्र में किसानों के हितों की रक्षा के लिए सूखा-प्रतिरोधी बीजों का प्रावधान, फसल विविधीकरण, सिंचाई सहायता और मौसम आधारित परामर्श सहित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या महाराष्ट्र में किसानों के लिए फसल बीमा, आदान सब्सिडी और राहत उपायों के लिए पर्याप्त निधि निर्धारित की गई है; और
(ङ) क्या सरकार का महाराष्ट्र में जल संरक्षण और जलवायु-अनुकूल कृषि कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के विभिन्न संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर - क्रीडा), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी), केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजडब्लूबी), महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर (एमएनसीएफसी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उर्वरक विभाग (डीओएफ) और राज्य सरकारों के साथ मिलकर मॉनसून की बदलती स्थिति और खेती पर अल-नीनो के संभावित प्रभाव पर लगातार नज़र रख रहा है। इसके अलावा, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. आईसीएआर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर (आईसीएआर-क्रीडा) ने राज्यों के साथ मिलकर 14 राज्यों के 342 ज़िलों के लिए 'ज़िला कृषि आकस्मिक योजनाएं' (डीएसीपी) अपडेट की हैं। इन ज़िलों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।
2. समय पर आवश्यक कदम उठाने के लिए बारिश की स्थिति, जलाशय में पानी के भंडार, भूजल स्तर, फसल की बुवाई, आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता, बाज़ार की स्थिति और कीट/बीमारी के प्रकोप की समीक्षा करने के लिए 'क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप' (सीडब्लूडब्लूजी) की साप्ताहिक बैठक हो रही है। इस बैठक में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लूसी), केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्लूबी), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर - क्रीडा), उर्वरक विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। दिनांक 27.04.2026 को सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) की अध्यक्षता में राज्य के कृषि सचिवों और राहत आयुक्तों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें बीज, चारा, पीने और सिंचाई के लिए पानी, उर्वरक जैसी आवश्यक सामग्री

की उपलब्धता और सामान्य तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अलावा, मॉनसून की तैयारियों का आकलन करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए दिनांक 17.06.2026 को संकट प्रबंधन समूह (क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप) की एक बैठक भी आयोजित की गई थी। इसके अलावा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 19 जून 2026 को अल नीनो की वजह से सामान्य से कम बारिश की संभावना और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की है। भारत सरकार के कृषि मंत्री ने 23 जून 2026 को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर अल नीनो की स्थिति में खरीफ की फसल की तैयारियों और स्थिति की समीक्षा की।

3. आईसीएआर ने ज़िला कृषि आकस्मिक योजनाओं (डीएसीपी) को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सहित 14 राज्यों के साथ बैठकें की हैं। आईसीएआर ने अल-नीनो से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) भी जारी किए हैं।
4. बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है; राज्यों की 172.80 लाख क्विंटल की मांग के मुकाबले खरीफ फसलों के बीजों की उपलब्धता 192.25 लाख क्विंटल रही। राज्यों ने 1% बीज, यानी 1.74 लाख क्विंटल, 'राष्ट्रीय बीज भंडार' के तौर पर सुरक्षित रखे हैं।
5. फसल विविधीकरण, कम समय में तैयार होने वाली और सूखे को झेल सकने वाली फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने, उर्वरक का सही मात्रा में उपयोग, पानी बचाने के तरीकों, माइक्रो-इरिगेशन (सूक्ष्म सिंचाई), मल्चिंग, इंटर-क्रॉपिंग और जलवायु के अनुकूल अन्य तकनीकों के उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। अल-नीनो की वजह से देरी और इसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास की बुवाई पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, किसानों को मक्का, बाजरा, मूंग और कम समय में तैयार होने वाली दूसरी फसलें बोने की सलाह दी गई है।
6. 1 से 30 जून, 2026 के दौरान देश भर में 'खेत बचाओ अभियान' चलाया गया। इसमें 1,14,567 कार्यक्रमों के माध्यम से 80,67,300 किसानों ने हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों का उदेश्य पानी बचाने, सिंचाई के बेहतर तरीकों को अपनाने और मौसम के बदलावों को झेल सकने वाली खेती के तरीकों को बढ़ावा देना था। साथ ही, संवेदनशील ज़िलों में 'किसान क्रेडिट कार्ड' (केसीसी) कवरेज बढ़ाने का सघन अभियान और 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) के तहत जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
7. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के समय ज़मीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय उपलब्ध कराने की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकारें अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार, 'राज्य आपदा मोचन निधि' (एसडीआरएफ) में उपलब्ध फ़ंड का उपयोग करके प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ के अलावा 'राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि' (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त आर्थिक सहायता पर विचार किया जाता है। इसमें इंटर-मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर किया गया आकलन भी शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राहत के तौर पर होती है, न कि हुए या दावा किए गए नुकसान के मुआवज़े के तौर पर।

महाराष्ट्र राज्य को 2026-27 के दौरान एसडीआरएफ के तहत ₹5718.00 करोड़ (केंद्र का शेयर ₹4288.50 करोड़ और राज्य का शेयर ₹1429.50 करोड़) आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत महाराष्ट्र को आवंटित और जारी की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	**एसडीआरएफ के तहत आवंटन**		**एसडीआरएफ के तहत केंद्रीय शेयर की रिलीज**	**एनडीआरएफ के तहत रिलीज**
	केंद्र शेयर	**राज्य शेयर**		
2021-22	2577.60	859.20	2577.60	1056.39
2022-23	2706.40	902.40	2706.40	--
2023-24	2841.60	947.20	2841.60	--
2024-25	2984.00	994.40	2984.00	138.09*
2025-26	3132.80	1044.00	3132.80	322.21*

** अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए*

8. गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 2026-27 से 2030-31 (16वें वित्त आयोग के तहत) की अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य को एसडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित फंड का विवरण इस प्रकार है::

(रुपए करोड़ में)

राज्य	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	**कुल**
महाराष्ट्र	5718	6004	6304	6619	6952	**31597**

9. केंद्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों को जलाशय के पानी का बेहतर उपयोग करने के लिए पहले से योजना बनाने और सिंचाई के कुशल तरीकों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। किसानों को 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)' जैसी चल रही स्कीमों के माध्यम से सहायता दी जा रही है जिसका उद्देश्य माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम स्थापित कर खेत के स्तर पर पानी के उपयोग की क्षमता को बढ़ाना है। ग्रामीण विकास विभाग, शुरुआती या बची-खुची बारिश की हर बूंद को संजोकर 'विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वी बी राम जी) के फंड का उपयोग जल संरचनाओं – जैसे खेत के तालाब, चेक डैम, नहरों से गाद निकालना और बोरी-बंधान – को पुनः जीवित करने के लिए कर रहा है। इसके अलावा, जलवायु के अनुकूल खेती के तरीकों के तहत, विभाग महाराष्ट्र समेत पूरे देश में कई स्कीमें भी कार्यान्वित कर रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ़ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच), नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (एनएफएसएम), इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयलसीड्स मिशन और अन्य मौजूदा कार्यक्रम।
